

©

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय



सत्यमेव जयते

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[1 फरवरी, 1993 को यथाविद्यमान]

The Registration of Births and Deaths Act, 1969

(Act No. 18 of 1969)

[As on the 1st February 1993.]

1993

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-निर्वाहक,
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य: (देश में) रु० 4.00 (विदेश में) 0.47 पौंड तथा 1 डालर 44 सेंट्स

1-1-T
1002-रिजिस्ट्रार
द्वारा-दिये-माफिया

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 नवम्बर, 1970 को यथावस्थमान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 53, खण्ड V में पृष्ठ 565 से 578 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होते ही, उस अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन गया।

नई दिल्ली;

1 नवम्बर, 1970

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

तृतीय संस्करण का प्राक्कथन

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) के द्वितीय द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 फरवरी, 1993 तक के सभी मंशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली;

1 फरवरी, 1993

के० एल० मोहनपुरिया,

सचिव, भारत सरकार।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

| धाराएं | पृष्ठ |
|---------------------------------------|-------|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 |
| 2. परिभाषाएं और निर्वाचन | 1 |

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

| | |
|---------------------------|---|
| 3. भारत का महा-रजिस्ट्रार | 2 |
| 4. मुख्य रजिस्ट्रार | 2 |
| 5. रजिस्ट्रीकरण-खंड | 2 |
| 6. जिला रजिस्ट्रार | 2 |
| 7. रजिस्ट्रार | 2 |

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

| | |
|--|---|
| 8. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अयोग्य व्यक्ति | 3 |
| 9. वास्तव में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबन्ध | 3 |
| 10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य | 4 |
| 11. सूचना देने वाले का रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर करना | 4 |
| 12. सूचना देने वाले का रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्घरण का दिनांक | 4 |
| 13. जन्म और मृत्यु का बिलम्बित रजिस्ट्रीकरण | 4 |
| 14. बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण | 4 |
| 15. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना | 4 |

अध्याय 4

अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

| धाराएं | पृष्ठ |
|---|-------|
| 16. विहित प्रारूप में रजिस्ट्रारों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना | 5 |
| 17. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार की तलाशी | 5 |
| 18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण | 5 |
| 19. कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना | 5 |

अध्याय 5

प्रकीर्ण

| | |
|---|---|
| 20. भारत में बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध | 5 |
| 21. जन्म या मृत्यु के संबंध में इतिहास अधिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति | 6 |
| 22. निवेश देने की शक्ति | 6 |
| 23. शास्तियाँ | 6 |
| 24. अपराधों के प्रमाण की शक्ति | 6 |
| 25. अभियोजन के लिए मंजूरी | 6 |
| 26. रजिस्ट्रारों और उपरजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना | 6 |
| 27. शक्तियों का प्रत्यायोजन | 6 |
| 28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परिचाय | 6 |
| 29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अन्वीकरण में न होना | 7 |
| 30. नियम बनाने की शक्ति | 7 |
| 31. निरसन और व्यावृत्ति | 7 |
| 32. फटिनाई दूर करने की शक्ति | 7 |

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)

[31 मई, 1969]

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्ध विषयों का

उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ---

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-- (1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं और निर्बचन-- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "जन्म" से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है ;

(ख) "मृत्यु" से जीवित-जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है ;

(ग) "भ्रूण-मृत्यु" से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है ;

(घ) "जीवित-जन्म" से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात् श्वास लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शाता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जात समझा जाता है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(छ) "मृत-जन्म" से ऐसी भ्रूण-मृत्यु अभिप्रेत है जहां गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चुका है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है ।

1. पुस्तक के अन्त में पृष्ठ 8 देखिए ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार—(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों में, जैसे वह ठीक समझे, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।

(3) महारजिस्ट्रार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्यक्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

4. मुख्य रजिस्ट्रार—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों में, जैसे वह ठीक समझे, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्घात बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यवाहक प्राधिकारी होगा।

(4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समन्वित अनुदेश निकाल कर या अथवा रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी शैली में और ऐसे अन्तरालों पर, जिन्हें विहित किया जाए, धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मासिक रिपोर्ट के साथ सौंप करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण खंड—राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राजक्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खंडों में, जिन्हें वह ठीक समझे, विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खंडों के लिए विभिन्न नियम विहित कर सकेगी।

6. जिला रजिस्ट्रार—(1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अनिश्चित जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्याधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करे जो जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अध्याधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. रजिस्ट्रार—(1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इतिला, फीस या तम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी मावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा।

- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो।
- (4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दे, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे।
- (5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियाँ और कर्तव्य सौंप सकेगा।

अध्याय 3

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

8. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति—(1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न विनिर्दिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं,—

(क) खण्ड (ख) से (ड) तक में निर्दिष्ट स्थान में भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बाबत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियाँ निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जाती हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुवस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्थ पुरुष ;

(ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहाँ का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बाबत, जेल का भारसाधक जेलर ;

(घ) किसी चावड़ी, छत्र, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बाबत, वहाँ का भारसाधक व्यक्ति ;

(ड) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशा में ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर ;

परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामणी या पूर्वोक्त अधिकारियों को सूचित करेगा

(च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं का ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।

9. बागान में जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा 8 में निर्दिष्ट इत्तिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा :

परन्तु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विनिर्दिष्टियाँ देगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “बागान” पद से चार हैक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, काली मिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, उपजाने के लिए तैयार की जा रही है या जिसमें ऐसी उपज वस्तुतः होती है तथा “बागान का अधीक्षक” पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे वह प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो।

10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य—(1) (i) जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाई या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का,

(ii) शवों के व्यथन के लिए अलग कर दिए गए किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमें उसने परिचर्या की हो या वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे विहित किया जाए।

(2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य मृद्विधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा।

(3) जहाँ राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाए वहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा-व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिए बिना ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इतिला देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाणपत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इतिला देते समय रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा।

11. इतिला देने वाले का रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर करना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इतिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गए रजिस्ट्रार में अपना नाम, वर्णन और निवासस्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्ट्रार में अपने नाम, वर्णन और निवास-स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ-चिह्न लगाएगा और ऐसी दशा में वे विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएगी।

12. इतिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना—जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होने ही, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विनिर्दिष्टों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को संपत्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इतिला दी।

13. जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण—(1) जिस जन्म या मृत्यु की इतिला तदर्थ विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात्, किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिए जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इतिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा में और विहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का स्थापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

(4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरुद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्रवाई के लम्बित रहने के दौरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

14. बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण—जहाँ किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहाँ ऐसे बालक की माता या पिता या गुरुधक बालक के नाम के सम्बन्ध में इतिला, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को विहित कालावधि के भीतर देगा और तब रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा और प्रविष्टि को आद्यक्षरित करेगा और उस पर तारीख डालेगा।

15. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना—यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह सूचित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्ट्रार में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्ररूपतः गलत है अथवा कपटपूर्ण या अतृप्तित तौर पर की गई है तो वह ऐसे विषयों के अधीन रहने हुए, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी जर्तों की वाक्य जिन पर और ऐसी परिस्थितियों की वाक्य जिनमें ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकेगा, बनाए जाएं, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना पाठ्य में यथासंभव प्रविष्टि करके उस प्रविष्टि को रचनी को ठीक कर सकेगा या उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पाठ्य-प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसमें ठीक या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा।

अध्याय 4

अभिनेतों और साक्षिकों की रजिस्ट्रीकरण

16. विहित प्रहय में रजिस्ट्रारों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना:—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण रोल या उसके किसी भाग के लिए, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, विहित प्रहय में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखेगा।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्रहयों और अर्थों में रजिस्ट्रारों को बताना-सूचना देना विहित किए जाएंगे, जिन पर मृत्यु की प्रविष्टियाँ करने के लिए पर्याप्त संख्या में रजिस्टर उपलब्धता और प्रदाय कराए जाएंगे; तथा ऐसे प्रहयों की स्थायी भाषा में एक प्रति प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाह्य द्वार पर या उसके निवेश किसी महत्वपूर्ण स्थान पर लगाई जाएगी।

17. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की सलाशी:—(1) राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए कितनी नियमों के अधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत फीस और इतर महत्वपूर्ण के संबंध में संबंधित नियम भी हैं, कोई व्यक्ति—

- (क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा सलाश करवा सकेगा; तथा
- (ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी नाम या मृत्यु को सम्बन्ध कोई उद्देश्य अभिप्राय कर सकेगा।

परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया नाम सलाशों में उद्देश्य, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्टि कारण प्रकर नहीं करेगा।

(2) इस धारा के अन्तर्गत विहित सभी उद्देश्य परिधीय राज्य अधिनियम, 1972 (1972 का 1) की धारा 76 के उपबन्धों की अन्वयात् रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्देश्य देने के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है, प्रसारित किए जाएंगे और उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि संबन्ध है, स्थापित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में प्रामाण्य होंगे।

18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण:—रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गए रजिस्ट्रारों की परीक्षा ऐसी नीति में, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे जिला रजिस्ट्रार विनियमित करे, किया जाएगा।

19. कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिए भेजा जाना:—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनियमित किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्रहय में, जो विहित किए जाएं, उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्ट्रार की जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों के बारे में एक विवरणी भेजेगा।

(2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों द्वारा विवरणियों में दी गई इतिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सांख्यिकीय रिपोर्ट, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्रहय में, जो विहित किए जाएं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

20. भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध:—(1) उन नियमों के अन्वय-अन्तर्गत जिनमें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए, महारजिस्ट्रार भारत की नागरिकों को भारत से बाहर जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन बनाए गए और भारतीय नागरिकता अधिनियमों में ऐसे प्राधिकारों को रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रदान किया है और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन मृत्यु संबंधित किया गया समझा जाएगा।

(2) भारत से बाहर जन्म के संबंध में जन्म की सूचना उपबन्ध (1) में उक्त उपबन्धित इतिला प्राप्त न हुई हो, यदि प्राप्त के द्वारा जन्म के संबंध में सूचना के भारत प्राप्त जाए तो वे भारत की नागरिकता अधिनियम के तारीख से साठ दिनों के भीतर किसी भी समय, जन्म का प्रमाण उपबन्ध (1) के अधीन, उसी विधि में रजिस्ट्रीकरण कार्य संकरो मानते बालक या जन्म भारत के द्वारा या और भारत के भीतर जन्म के संबंध में सूचना की पूर्वीका प्राप्त किए की अनुमति के अन्वय में उपबन्ध प्राप्त होंगे।

21. जन्म या मृत्यु के सम्बन्ध में इतिहास अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिच्छेद में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इतिहास जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आवश्यक होगा।

22. निर्देश देने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी विषय या किए गए किसी आदेश के उपबंधों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

23. शक्तियाँ—(1) कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इतिहास, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तिपूर्वक कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्ट्रार से लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इतिहास देगा या दिलावेगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन परिच्छेदों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है; अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्ट्रार में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगूठ-चिह्न लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियों में जने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तिपूर्वक कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई निहित-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसी प्रमाण-पत्र परिवर्तन करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध को, युक्तिपूर्वक कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में किसी मौखिक या लिखित अपेक्षा की है, वह जुर्माने से, जो इस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) दण्ड प्रतिलिपि संविदा, 1893 (1893 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण अधिकार प्रतिलिपि संविदा, 1893 में संशोधित किया जाएगा।

24. अपराधों के प्रमाण की शक्ति—(1) ऐसी बातों के अन्तर्गत रूप से हुए, या लिखित की जाएं मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, या राज्य या विदेशी अरब द्वारा, इस विहित अधिनियम में उचित शक्ति के अधीन किसी व्यक्ति के अपराधों के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तिपूर्वक संदेह हो, एक अपराध के प्रमाण के रूप में प्रमाणपत्र दिए जाने के अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रमाणपत्रों को एक दण्ड प्रतिलिपि संविदा, 1893 में उचित शक्ति के अधीन प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जावे और कोई अपराध करने वाले को दण्डनीय बनाया जा सके।

25. अधिनियम का विद्युत् सूचना—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणपत्र, अपराधों के लिए कोई अधिनियम, राज्य रजिस्ट्रार द्वारा, या राज्य या विदेशी अरब द्वारा, इस विहित अधिनियम में उचित शक्ति के अधीन प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जावे और कोई अपराध करने वाले को दण्डनीय बनाया जा सके।

26. कोर्टों और न्यायालयों के अधिकार—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणपत्र, अपराधों के लिए कोई अधिनियम, राज्य रजिस्ट्रार द्वारा, या राज्य या विदेशी अरब द्वारा, इस विहित अधिनियम में उचित शक्ति के अधीन प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जावे और कोई अपराध करने वाले को दण्डनीय बनाया जा सके।

27. कोर्टों के अन्तर्गत—इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणपत्र, अपराधों के लिए कोई अधिनियम, राज्य रजिस्ट्रार द्वारा, या राज्य या विदेशी अरब द्वारा, इस विहित अधिनियम में उचित शक्ति के अधीन प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जावे और कोई अपराध करने वाले को दण्डनीय बनाया जा सके।

28. अधिनियम की शक्ति—(1) इस अधिनियम का तदधीन प्रमाणपत्र, अपराधों के लिए कोई अधिनियम, राज्य रजिस्ट्रार द्वारा, या राज्य या विदेशी अरब द्वारा, इस विहित अधिनियम में उचित शक्ति के अधीन प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जावे और कोई अपराध करने वाले को दण्डनीय बनाया जा सके।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी शर्त के अनुसंधान में सम्भाव्यपूर्वक की गई या की जाने के लिए आज्ञित किसी बात से हुए या होने में समाप्त किसी तत्काल के लिए सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम संख्यांक 6 के अर्पणकरण में न होना--इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबन्धों के अर्पणकरण में है।

30. नियम बनाने की शक्ति--(1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगे--

(क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रों के प्ररूप ;

(ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रार को धारा 8 के अधीन इतिला दी जानी चाहिए ;

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जन्म और मृत्यु की सूचना दी जाएगी ;

(घ) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(ङ) वे विशिष्टियां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ;

(छ) धारा 13 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के लिए सदेय फीसें ;

(ज) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ;

(झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रों की तलाशी और ऐसी तलाशी के लिए तथा रजिस्ट्रों में से उद्धरण दिए जाने के लिए फीसें ;

(ञ) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तगल जिन पर विवरणियां और सांख्यिकीय रिपोर्ट धारा 19 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएगी ;

(ट) रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना और अन्तरण ;

(ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्र से गलतियों को ठीक करना और उनकी प्रविष्टियों को रद्द करना ;

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

31. निरसन और व्यावृत्ति--(1) धारा 29 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उक्त अंग, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से, यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत, निकाया गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, पूर्ववत् उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए।

32. कठिनाई दूर करने की शक्ति--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन में, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबन्ध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्षों के अन्तर्गत के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का लागू होना

1. यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में 1-4-1970 से प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 514, तारीख 21-3-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 377 :—

(1) निम्नलिखित के सिवाय सम्पूर्ण आसाम राज्य में—

- (i) संयुक्त खासी-जयन्तीया पहाड़ी जिला, किन्तु—
 - (क) शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर ;
 - (ख) शिलांग छावनी में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर ;
- (ii) संपूर्ण गारो पहाड़ी जिला;
- (iii) संपूर्ण संयुक्त मिकिर तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जिले ;
- (iv) संपूर्ण मिजो पहाड़ी जिले ।

(2) निम्नलिखित के सिवाय सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल में :—

- (i) कलकत्ता निगम में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;
- (ii) हावड़ा नगर पालिका में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर;
- (iii) फोर्ट विलियम; और
- (iv) ब्रेकपुर, लेवोंग और जलपहाड़ छावनियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संपूर्ण भाग में 1-4-1970 से प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 461, तारीख 7-3-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 966 :—

राज्य

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. आंध्र प्रदेश | 8. मेसूर |
| 2. बिहार | 9. उड़ीसा |
| 3. गुजरात | 10. पंजाब |
| 4. हरियाणा | 11. राजस्थान |
| 5. केरल | 12. तमिलनाडु |
| 6. मध्य प्रदेश | 13. उत्तर प्रदेश |
| 7. महाराष्ट्र | |

संघ राज्यक्षेत्र

- | | |
|------------------------|---|
| 1. चण्डीगढ़ | 3. हिमाचल प्रदेश |
| 2. दादरा और नागर हवेली | 4. लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप। |

3. यह अधिनियम संपूर्ण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में 1-7-1970 से प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 973, तारीख 26-6-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 5851

4. यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में 1-10-1970 से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त हुआ; देखिए अधिसूचना सं० साधारण कानूनी नियम 1718 तारीख 22-9-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 727 :—

- 1. उधमपुर जिले में रामनगर पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र ।
- 2. बारामूला जिले में कूपवाड़ा पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र ।
- 3. जम्मू और श्रीनगर नगरपालिकाओं में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं में ।
- 4. अदंतनाग, कथुआ और लेह की शहरी क्षेत्र समितियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं में ।

5. इस अधिनियम का विस्तार 13-9-76 से सिक्किम राज्य पर किया गया। देखिए अधिसूचना सं० कानूनी आदेश 3465, तारीख 21-9-76 ।